न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर कोटा

पत्रावली संख्या : 18 / 2025 (अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

उनवान

श्री गणपत पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा ग्राम खरवन तहसील पीपल्दा हाल मुकाम इन्द्रा गॉधी नगर कोटा

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

(प्रतिपक्षी)

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1)
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय दिनांकः 5/12/2025

1— अपीलार्थी श्री गणपत पुत्र गोपीलाल जाति बैरवा ग्राम खरवन तहसील पीपल्दा हाल मुकाम इन्द्रा गॉधी नगर कोटा मो0नं. 9929677179 द्वारा यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत इस बाबत् प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 4.09.25 को लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी इटावा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना प्राप्त नही हुई है। अतः चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

2— अपीलार्थी की अपील पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला कोटा से टिप्पणी / जवाब हेतु उन्हें पत्रांकः रीडर / एडीएम / 2025 / 596 दिनांक 17.11.2025 से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा अपने पत्रांक /आरटीआई / 2025 / 2806 दिनाक 10.12.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को भी न्यायालय द्वारा प्रस्तुत इस अपील में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिऐ सूचना पत्र क्रमांक 597 दिनांक 17.11..2025 भिजवाया गया,। अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही हुए।

3.— पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी इटावा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट / टिप्पणी मे अंकित किया है

अति. जिला कलेक्टर
कोटा

कि अपीलार्थी पटवार मण्डल नोनेरा के ग्राम खरवन में दर्ज भूमि में मृतक खातेदारो का नाम हटवाने व पैतृक भूमि का बटवारा एवं स्वंय के हिस्से में आने वाली भूमि का सीमज्ञान करवाने बाबत् सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया है।

1. मृतक खातेदार के नाम हटवाने हेतु ऑनलाईन विरासत नामान्तकरण दर्ज करवाने का प्रावधान।
2. पैतृक/ सामलात भूमि का बटवारा करवाना चाहता है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1965 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद दायर कर बटवारा करवा सकता है।
3. खातेदार द्वारा बिना अपनी जोत निर्धारण किये एवं बिना विभाजन के सीमाज्ञान किया जाना संभव है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपधारा (3) के अर्न्तगत की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाती है जबकि प्रार्थी उक्त तीनों बिन्दुनुसार कार्यवाही चाहता है जिसका निस्तारण तहसील कार्यालय से किया जाना संभव नही है।

पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत एवं लोक सूचना अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी इटावा से प्राप्त टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। न्यायालय लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी इटावा से प्राप्त टिप्पणी/रिपोर्ट से सहमत है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपधारा (3) के अर्न्तगत की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाती है जबकि प्रार्थी उक्त तीनों बिन्दुनुसार कार्यवाही चाहता है जिसका निस्तारण तहसील कार्यालय से किया जाना संभव नही है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार पीपल्दा को भिजवाई जावे।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एव प्रथम अपीलीय
अधिकारी कोटा,जिला
कोटा